भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2099

उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024

सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल विकास प्रशिक्षण में संलग्न एजेंसियों की निगरानी के लिए तंत्र

2099. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण और सरकारी सहायता प्रदान करने में संलग्न एजेंसियों के कामकाज की निगरानी के लिए कोई नया तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से राजस्थान राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग से संबंधित कौशल युक्त करना है।

कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में लगी एजेंसियों/संस्थानों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस के तहत उम्मीदवारों का नामांकन आधार आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्जी नामांकन न हो। इसके अलावा, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

पीएमकेवीवाई

• पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण केंद्रों को प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) मशीन स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण केंद्रों को भुगतान को उपस्थिति से जोड़ा गया है।

• निम्नलिखित निगरानी उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण केंद्रों और अभ्यर्थी कौशल जीवनचक्र प्रगति की समवर्ती निगरानी:

i. *कॉल सत्यापन:* प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को दिए गए मोबाइल नंबर पर मैन्युअल कॉल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कॉल सत्यापन से सार्वजनिक शिकायत, अन्य हितधारकों से शिकायत आदि जैसे कई चैनलों के माध्यम से प्राप्त मुद्दों की जांच करने में भी मदद मिलती है।

ii. *आश्चर्य केन्द्र का दौरा:* योजना के अनुपालन मापदंडों की जांच के लिए एनएसडीसी/एसएससी स्टाफ सदस्यों द्वारा वास्तविक समय पर आकस्मिक दौरे किए जाते हैं।

iii. *वर्चुअल सत्यापन:* यह प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर पीएमकेवीवाई अनुपालन की वस्तुतः निगरानी और सत्यापन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी तंत्र है। प्रशिक्षण केंद्र को जब भी पूछा जाए, मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जियोटैग और टाइम स्टैम्प्ड इमेज के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

iv. *प्रशिक्षण केन्द्रों को परिणाम आधारित भुगतान:* प्रशिक्षण केंद्रों को भुगतान कार्यक्रम के जीवनचक्र के दौरान उपस्थिति, प्रमाणन और प्लेसमेंट जैसे विशिष्ट परिणामों पर आधारित होता है।

• गैर-अनुपालन संस्थाओं को दंडित करने (वित्तीय दंड सहित) के लिए एक दंड मैट्रिक्स तैयार किया गया है। गंभीर गैर-अनुपालन या किसी भी अनैतिक व्यवहार के मामलों में, किसी प्रशिक्षण केंद्र को छह महीने की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है या कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से काली सूची में डाला जा सकता है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत अब तक 1008 प्रशिक्षण केंद्रों पर निगरानी कार्रवाई की गई है।

एनएपीएस

• राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत, स्कीम की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और एक योजना निगरानी एवं समीक्षा समिति (एसएमआरसी) की स्थापना की गई है। इसी प्रकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समितियां (एसआईआरसी) गठित की गई हैं।

• इस स्कीम की निगरानी प्रत्येक जिले में राज्य प्रशिक्षु सलाहकार (एसएए) और सहायक प्रशिक्षु सलाहकार (एएए) के माध्यम से भी की जाती है, इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडीएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षुता पोर्टल स्कीम की निगरानी के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो उम्मीदवारों और प्रतिष्ठानों के सभी आवश्यक क्रेडेंशियल्स को कैप्चर करता है।

जेएसएस

• एमएसडीई समय-समय पर समीक्षा बैठकों और फील्ड विजिट के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है।

• राज्य स्तर पर, जेएसएस की निगरानी और पर्यवेक्षण आरडीएसडीई द्वारा किया जाता है। आरडीएसडीई के अधिकारी प्रभावी निगरानी के लिए समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जेएसएस का दौरा और निरीक्षण करते हैं।

• जेएसएस स्तर पर, प्रत्येक जेएसएस में प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के नाम से जानी जाने वाली 16 सदस्यीय समिति स्थापित की गई है। जेएसएस का बीओएम समय-समय पर जेएसएस द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। बीओएम के सदस्य समय-समय पर कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा करते हैं और जेएसएस के कामकाज में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए बीओएम बैठक में अपनी टिप्पणियां रखते हैं।

डीजीटी

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संबंधित राज्य निदेशालयों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के तहत काम करते हैं। ये राज्य निदेशालय आईटीआई के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• निगरानी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने आईटीआई के लिए डेटा-संचालित ग्रेडिंग पद्धति शुरू की है। यह ग्रेडिंग प्रणाली प्रवेश, परीक्षा आदि जैसे व्यापक मापदंडों के आधार पर आईटीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।

*****